संख्या 6668/15-12-85-10121/85

प्रेषक,

श्री मोहन्ती, अनुभाग,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मैनेजर,
मेसर्स डोई एण्ड मेकेन्जी एजेन्सीज,
2/42, अन्सारी विहार, अन्सारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली-110002

शिक्षा(1)2) अनुभाग लखनऊ, दिनांक 9 जनवरी, 1986

विषयः- मेन्ट्स कॉलेज स्कूल, शाहिद नगर/मिर्जापुर। की प्रबन्धकीय पुनर्गठन बाबत

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेन्ट्स कॉलेज स्कूल, शाहिद नगर मिर्जापुर की मेसर्स डोई एण्ड मेकेन्जी एजेन्सीज, नई दिल्ली से सम्बद्ध होने में इस राज्य सरकार को निम्नांकित शर्तों के अधीन सहमति न होगी:-

शासकीय प्रतिबन्ध

1- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

2- संस्था के प्रबन्धन/प्रशासकीय पुनर्गठित होगी। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुरूप सेवाशर्तों तथा अन्य मामलों में उक्त सेवाशर्त तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

3- राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जो भी निर्देश दिये जायेंगे, उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

4- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का रखा जायेगा

5- यदि उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का किसी भी समय उल्लंघन किया जायेगा तो मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

विशेष प्रतिबन्ध

1- विद्यालय की प्रबन्धक समिति का गठन/पुनर्गठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट/संस्था 21ए, 1860/86 के अधीन कराया जाय तथा नियमानुसार गठन/पुनर्गठन की सूचना दी कराया जाये

2- विद्यालय में पुस्तक कक्ष व प्रयोगशाला के लिए उचित आकार का एक कक्ष तथा तथा दो शैक्षणिक विषय कक्ष एवं चार पुस्तकालय कक्ष की व्यवस्था की जाये।

3- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनवाली जायें तथा उन्हें अन्य प्रशासकीय प्रयोजन आवश्यक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुरूप सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जाय

Scanned with CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]